Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding eviction of people belonging to Gujjar/Gujjar bakarwal tribe from their natural dwellings in Jammu & Kashmir -laid.

श्री मलूक नागर (बिजनौर): जम्मू कश्मीर के कई प्रतिनिधि मंडल आकर मिले व बताया कि, जम्मू कश्मीर में जम्मू डिवेलप्मेंट ऑथोरिटी (जे०डी०ए०) व अन्य सरकारी विभागों द्वारा मुहिम चलाई गई है, जिसमें वन गुज्जरों/गुज्जर बक्करवालों की पुरानी आबादी/ गाँवों को जंगल की जमीन कहकर उजाड़ रहे हैं व सभी के मकान आदि तोड़ रहे हैं, इससे संबन्धित वन अधिकार अधिनियम 2006 धारा 4, (5) के तहत कब्जी भूमि राजस्व ग्राम में परिवर्तन करने का प्रावधान है, इसी को आधार मानकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर कि सरकार ने वहाँ के काफी वन गुज्जरों/गुज्जर बक्करवालों को सुविधा दी हैं । उपरोक्त अधिनियम को ध्यान में रखकर इनकी पुरानी आबादी/ गाँवों व घरों को ना उजाड़ा जाए और अगर इनकी जमीनों की सरकार को आवश्यकता है, तो 2014 भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन के तहत सर्किल रेट के 4 गुणा के हिसाब से मुआवजा देकर जमीन लिया जाए । उपरोक्त के बारे में मैंने दिनांक 27-01-2022 को माननीय उप राज्यपाल जम्मू कश्मीर को विस्तार पूर्वक पत्र भी लिखा था व आपके द्वारा मांग करता हूं कि वन अधिकार अधिनियम 2006 धारा 4,(5) के तहत जम्मू कश्मीर के सभी वन गुज्जरों/गुज्जर बक्करवालों को भी सुविधा दी जाए, जिससे इनको न्याय मिल सके ।